**Demand for special scheme for the development of Tea industry and its workers in Darjeeling and other parts of the country**

**श्री समन पाठक (पश्चिमी बंगाल) :** महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर मै आपके माध्यम से सरकार का ध्यान चाय उधोग के संकट और चाय श्रमिकों की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, चाय उधोग एवं चाय श्रमिकों की स्थिति पूरे देश में शोचनीय है। आज देश के कई चाय बागान बंद पड़े है और कई बंद होने की स्थिति में है। आज चाय का उत्पादन एंव उसकी गुणवत्ता तेजी से घट रही है, जिसके चलते चाय बागानों पर निर्भर सभी लोगों को आर्थिक व सामाजिक समस्या से गुजरना पड़ रहा है। बागान बंद होने के कारण बहुत सारे कर्मचारी बोरोजगार हो गए है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार चाय उधोग को बचाने के लिए मास्टर प्लान बनाए, ताकि रुग्ण और बंद बागानों को संकट से मुक्त किया जा सके और विदेशों में मार्केटिंग के लिए भी सरकार को आगे आना होगा और ज्यादा से ज्यादा चाय का निर्यात चाय नीलामी केन्द्रों से हो, सरकार इसको भी सुनिश्चित करे।

महोदय, मै इस अवसर पर सरकार का ध्यान दार्जिलिंग की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा। दार्जिलिंग तीन Ts के लिए प्रसिद्ध है। Tea, Tourism anc Timber दार्जिलिंग का मूल आथिक आधार चाय है, लेकिन यहां के चाय श्रमिकों की हालत बहुत ही नाजुक है। यहां कई बागान बंद पड़े है अरु कई बंद होने की स्थिति में है। रिडटड़, सिपाईघरा, चुड़थुड़ जैसे अच्छे बागान भी इसी स्थिति से गुजर रहे है। पूरे देश में, विश्व बाजार में, आज चाय का संकट है, लेकिन यहां भी संकट के नाम पर कई बागानों के मालिकों ने राशन, चिकित्सा, पेयजल, आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से मजदूरों को वंचित रखा है। महोदय, चाय दिवस के अवसर पर केन्द्र सरकार विश्व के सबसे श्रेष्ठ चाय का उत्पादन करने वाले जिले दार्जिलिंग के श्रमिकों के लिए एवं चाय उधोग के संबंध में किसी अच्छी योजना की घोषणा करें, ताकि यहां के श्रमिकों का एवं चाय उधोग का भविष्य सुनिश्चित हो।

**Demand for use of Hindi in Central Government Offices, PSUs, Banks, etc.**

**प्रो0 राम देव भंडारी (बिहार) :** महोदय, आजादी के 60 वर्ष बाद भी केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी भाषा, जो देश की राजभाषा है, सरकारी कामकाज इसमें नहीं हो रहा है। महोदय, 1963 में राजभाषा अधिनियम बना तथा 1976 में नियम बनें, जिसके आलोक में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 30 सांसदों की यह समिति केन्दीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के कार्यो का निरिक्षण करती है तथा उनका मार्गदर्शन करती है। संसदीय राजभाषा समिति में अपने अनुभव के आधार पर मेरा यहा मानना है कि देश के